समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आम सूचना :–

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम– 2013 की धारा–16 के अधीन एवं झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली– 2015 के नियम–25 के अंतर्गत अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा के 2x800 MW ताप विद्युत परियोजना के लिए बुस्टर पम्पींग स्टेशन निर्माण परियोजना हेतु कुल रकवा– 41.604 एकड़ के अंतर्गत अंचल– ठाकुरगंगटी के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करने हेतु मौजावार सर्वेक्षण करने की तिथि निर्धारित की जाती है।

क्र0	अंचल	पंचायत	ग्राम	थाना नं0	दिनांक	समय
1	ठाकुरगंगटी	फुलवड़ीया	बहादुरचक	273	21.12.2018	11:00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराहन तक
2			भगवानपुर	282		
3			नियामतचक	274		

उक्त परियोजना से प्रभावित भू–स्वामियों/भू–अधिवासियों से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथियों को सर्वेक्षण करने वाली टीम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का कष्ट करेंगे।

15/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :– 1612 /भूअ0 गोड्डा दिनांक :– 17/12/18

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विधि–व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा को सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक :1612/भू0अ0 गोड्डा दिनांक :17/12/18

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना को दो स्थानीय भाषा के क्षेत्रीय संस्करण के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रकाशित समाचार पत्रों के प्रेस कतरन को जिला भू–अर्जन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– IT Manager, DPMU (Revenu), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस आमसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि प्रभावित क्षेत्र के मुखिया/ग्राम पंचायत प्रतिनिधिगण को आम सूचना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे एवं तामिला प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को निदेश है कि आम सूचना को सूचना–पट पर प्रदर्शित करते हुए प्रचार–प्रसार डुगडुगी बजाकर प्रभावित क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– वरीय उपाध्यक्ष, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि तिथिवार सर्वेक्षण करने वाली टीम को सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

17/12/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

Scanned by CamScanner